

कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-1  
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

56-18

पत्रांक :- 1146/10अधिप्राप्ति / 10

दिनांक : 17/08/2010

कार्यालय ज्ञाप

इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप सं0-332/10 अधि0/2010 दिनांक 3.7.2010 द्वारा भवन निर्माण हेतु कुर्सी क्षेत्रफल दरों का निर्धारण किया गया था। शासनादेश संख्या 1764/111 (2)/10-17 (सामान्य)/2008 दिनांक 17.6.2010 द्वारा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है, जिसके क्रम में भवन कार्यों (आवासीय एवं अनावासीय) के निर्माण हेतु भाग प्रथम की दरें संलग्न प्रपत्र के अनुसार प्रारम्भिक आगणन गठन मात्र हेतु निर्धारित की जाती हैं।

उक्त दरें दिनांक 17.8.2010 से प्रभावी होंगी।

  
(ललित मोहन)

मुख्य अभियन्ता स्तर-1

लोक निर्माण विभाग, देहरादून।  
17/8

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- टी0ए0सी0, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
- 5- मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, पौड़ी/अल्मोडा।
- 6- मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, यमुना कालोनी, देहरादून।
- 7- महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड, पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, 11 मोहनी रोड़, देहरादून।
- 8- मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, देहरादून।
- 9- प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून।
- 10- प्रबन्ध निदेशक, कुमायूँ मण्डल, विकास निगम, नैनीताल।
- 11- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
- 12- वरिष्ठ स्टाफ आफिसर I, II/अधिशारी अभियन्ता I, II, III, IV विभागाध्यक्ष कार्यालय, देहरादून।
- 13- समस्त अधिशारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
- 14- समस्त सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, देहरादून।

मुख्य अभियन्ता स्तर-1

लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

1-T  
up load करें  
9.10.18  
(दिवेन्द्र शाह)  
अधिशारी अभियन्ता

90

17/8

## पर्वतीय क्षेत्र में भवनों के निर्माण (प्रथम चरण ) हेतु मानक दरें

विभाग – लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

दिनांक 17.8.2010 से लागू

कार्यालय ज्ञाप संख्या 332/10 अधिप्राप्ति/10 दि 3/7/2010 द्वारा निर्धारित मानक दरों एवं कुर्सी क्षेत्रफल के आधार पर भवन की लागत आंकलित की जायेगी जिस आधार पर भवनों के नव निर्माण (प्रथम चरण) हेतु निम्नलिखित प्राविधान किये जायेंगे :-

1- वर्तमान समय में भवनों के लिये वास्तुविद (आर्किटेक्चरल) परामर्श आदि के सम्बन्ध में बढ़ती आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कम सं० 4.30 तक (जो देय हो) की आंकलित लागत पर निम्नलिखित मदों हेतु प्राविधान किया जायेगा तथा अन्य निगमों को जो सेन्टेज चार्ज दिये जाते हैं यदि उनमें इन प्राविधानों हेतु कोई धनराशि सम्मिलित है तो यह धनराशि देय नहीं होगी :-

I- कन्सेप्ट प्लानिंग एवं स्कैच- 0.25 प्रतिशत ।

II- अनुमानित लागत, ड्राइंग एवं विशिष्टियां आदि - 0.50 प्रतिशत ।

III- विस्तृत आगणन, ड्राइंग एवं विशिष्टियाँ - 0.75 प्रतिशत ।

IV- विस्तृत कार्यकारी ड्राइंग/डिजाइन - 0.50 प्रतिशत ।

2- मृदा परीक्षण एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग - 2 प्रतिशत ।

3- आकस्मिक व्यय (कम संख्या 1 तथा 2 पर)- 3 प्रतिशत ।

4- भवन की पहुँच मार्ग हेतु पर्वतीय क्षेत्र में कार्यालय ज्ञाप संख्या 380/प्रकीर्ण/2010 दिनांक 19.5.2010 द्वारा 5.95 मीटर चौड़ाई मोटर मार्ग नव निर्माण हेतु निर्धारित रू० 46.00 लाख प्रति किमी० एवं मैदानी क्षेत्र हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या -535/प्रकीर्ण/2010 दिनांक 14.6.2010 द्वारा निर्धारित रू० 35.00 लाख प्रति किमी० की दर में से क्रम सं० 1 से 5 में आकस्मिक व्यय सम्मिलित करते हुए रू० 19.00 लाख प्रति किमी० की दर से प्राविधान किया जायेगा। पहुँच मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण किये जाने हेतु डी०पी०आर० में विस्तृत विवरण एवं आवश्यकतानुसार प्राविधान किया जायेगा।

5-भवन निर्माण हेतु भूमि हेतु प्राविधान जिन स्थानों पर भूमि निःशुल्क उपलब्ध न हो उन स्थानों पर जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित गार्किल रेटस के आधार पर वास्तविकतानुसार प्राविधान किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता  
कार्यालय लो०नि०वि०,  
देहरादून।

वरिष्ठ स्टाफ आफिसर  
कार्यालय लो०नि०वि०,  
देहरादून।

मुख्य अभियन्ता स्तर-1  
कार्यालय लो०नि०वि०,  
देहरादून।